न्यूनतम मज़दूरी में वृद्धि

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स]

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिये केंद्रीय [न्यूनतम मज़दूरी] में वृद्धि की है।

- यह वृद्धि [न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948] के प्रावधानों के तहत की गई है, जो **केंद्र और राज्य सरकारों को** न्यूनतम मज़दूरी तय करने, समीक्षा करने तथा संशोधित करने का अधिकार देता है।
- न्यूनतम **या फ्लोर वेतन** वह **न्यूनतम पारिश्रमिक** है जो नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों को देने के लिये कानूनी रूप से आवश्यक है।
- सरकार **वर्ष में दो बार** न्यूनतम मज़दूरी दरों में संशोधन करती है।
- ये समायोजन [औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)] से **जुड़े हैं।**
    - CPI-IW एक निश्चित समयावधि में **औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली** वस्तुओं और सेवाओं की निश्चित टोकरी की **खुदरा कीमतों** में सापेक्ष परिवर्तन को मापता है ।
    - **श्रम और रोज़गार मंत्रालय** का श्रम ब्यूरो CPI-IW जारी करता है।

और पढ़ें: [औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hike-in-minimum-wages